2. प्राईम प्रेस्टिजियस लैण्डमार्क
पी.पेन नम्बर एएडब्ल्यूएफपी8776जी
फ्लेट सं. 404 आईवीएफ वैशाली स्थैनर्थ
प्रताप नगर, जयपुर 302021
जरिये अधिकृत प्रतिनिधि
जीवणराम पुत्र नारायणराम
जाति–जाट
निवासी–गांव पेमासर
तहसील व जिला बीकानेर
3. सरिता अग्रवाल पत्नि प्रशांत अग्रवाल
जाति–अग्रवाल
निवासी–मकान सं. 17/402
तोषनीवाल अस्पताल के पास
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर
4. पेम्पसिंह पुत्र हाथीसिंह
5. अणचकंवर पत्नि हाथीसिंह
6. चुतरसिंह पुत्र राणीदानसिंह
7. आसुसिंह पुत्र राणीदानसिंह
8. नखतसिंह पुत्र राणीदानसिंह
9. मोहनसिंह पुत्र राणीदानसिंह
सभी जाति–राजपूत
निवासी–खेतुसर
तहसील–बाप
जिला–जोधपुर
10. श्रीमान तहसीलदार, बाप

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 122/2019

उपस्थित :–

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. श्री सुमेरसिंह चौहान, करणीसिंह राठौड़ अधिवक्तागण वास्ते अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 7
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 8 व 9

दिनांक:– 31.01.2020

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आज ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में पेश किया है, उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही प्रार्थी के पक्ष में साबित है, उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, मूल खसरा नं. 217 रकबा 245 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम देदासरी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में स्थित है। ग्राम देदासरी में से नया राजस्व गांव कुशलाराम की बस्ती बन जाने से उक्त खसरा की भूमि वर्तमान में कुशलाराम की बस्ती की सीमा में आ गई है, उक्त खसरा नं. 217 रकबा 245 बीघा 4 बिस्वा

यमानुसार रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है रेकर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को होगी, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 व 7 के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

भय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली व उस पर उपलब्ध नात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से खसरा नं. 217 की रकबा 75 बीघा व खसरा नं. 251 की रकबा ा 7 बिस्वा कुल रकबा 125 बीघा 7 बिस्वा ग्राम देदासरी की भूमि खातेदार जोरसिंह े बजाय अप्रार्थी सं. 1 नबीबक्स के नाम जरिये बेचान रूपये 99/-- दिनांक 7--3-1971 नान्तरकरण स्वीकृत कर दर्ज की जाना पायी जाती है, उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध दार फलोदी ने विविध जांच बाबत नामान्तरकरण अमल दरामद करने हेतु के निर्णय 9-12-1997 की प्रति के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका जाने और उस पर अप्रार्थी सं. 1 नबीबक्स का कब्जा होने से नामान्तरकरण सं. 73 का दरामद किया जाने का स्पष्ट आदेश पारित किया है प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या पेश नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा काश्त होना साबित हो न राजस्व रेकर्ड में भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन के पक्ष में नहीं बनना पाया जाता है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अपील सं. 019 के निर्णय दिनांक 11-7-2019 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम त दर्ज रखना भी स्पष्ट है अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 वादग्रस्त भूमि के क्रेता व रेकर्डेड दार है न्यायालय के विनम्र मतानुसार रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी जाना उचित नहीं है उपरोक्तानुसार अवलोकन एवं विचारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हीन व सारहीन पाया जाता है एवं खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधिहीन व हीन होने से प्रकरण में दिनांक 28-5-2019 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश व प्रार्थी का ान प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व न दावा रहे।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (जिला जोधपुर) बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.02.03 20:38:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: